महत्वपूर्ण

संख्या-30/2018/1322/60-3-2018-38(सा0)/18

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 महिला कल्याण निगम,
लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3दिनांकः लखनऊः 24 अगस्त, 2018

विषयः-वृद्ध महिला आश्रम संचालन हेतु निर्धारित मदों के अन्तर्गत धनराशि में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम के पत्र संख्या-306/म0क0नि0, दिनांक 23.07.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वृद्ध महिला आश्रम संचालन हेतु निर्धारित मदों के अन्तर्गत धनराशि में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।

2. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निगम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में वृद्ध महिला आश्रमों के संचालन के लिये निर्धारित दरों/नवीन दरों के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार कुल रू0-26,84,17,350/- की धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया गया है। प्रकरणगत निगम द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अन्तर्गत रू0-10,84,65,100/- की धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया गया था, उल्लेखनीय है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

में मात्र रू0-650.00 लाख की बजट व्यवस्था वृद्ध महिला आश्रम के संचालन के निमित्त है। सम्प्रति अनेक वृद्ध महिला आश्रम कदाचित बन्द कर दिये गये है, जो सचल पालना गृह स्कीम से आच्छादित संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे थे। इसके परिप्रेक्ष्य में तथा वर्तमान में संचालित वृद्ध महिला आश्रम में निवासित वृद्ध महिलाओं/संवासिनियों की संख्या के आधार पर निर्धारित दरों/प्रस्तावित नवीन दरों के अन्तर्गत वृद्धि किये जाने हेतु पुनः परीक्षण कर औचित्यपूर्ण सुसंगत प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।